राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4573/2022

राम प्रकाश जांगिड़ —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, वित्त, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
3. बीडीओ, पंचायत समिति मूंडवा, जिला नागौर।
4. विजयपाल मिर्धा, एमएलए, डेगाना, मिर्धा कॉलोनी, कुचेरा, नागौर।
5. सुखवीर डिडेल, एएओ वर्तमान पदस्थापित पंचायत समिति, मूंडवा, नागौर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 12.09.2022
आदेश की दिनांक : 28.11.2022

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक

समक्षः– मातादीन शर्मा, सदस्य
एम.एस.काला, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित आधारों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि सहायक लेखाधिकारी–I के पद पर पंचायत समिति मूंडवा, नागौर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 06.09.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से राजस्थान रूरल वाटर सप्लाई एण्ड फ्लोरोसिस मीटिगेशन प्रोजेक्ट (पीएमयू), नागौर किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 21.10.2022 (अनुलग्नक–1/A) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण विकास अधिकारी, पंचायत समिति मूंडवा, नागौर से राजस्थान रूरल वाटर सप्लाई एण्ड फ्लोरोसिस मीटिगेशन प्रोजेक्ट (पीएमयू), नागौर (स्थानान्तरणाधीन) से विकास अधिकारी, पंचायत समिति, जायल, नागौर किया गया। वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 08.03.2017 (अनुलग्नक–4) द्वारा लेखासेवा के कार्मिकों का स्थानान्तरण 4 वर्ष पूर्व नहीं किया जावे, विशेष परिस्थिति में राज्य सरकार की स्वीकृति उपरान्त किया जा सकता है। अपीलार्थी के अन्यत्र स्थानान्तरण के संबंध में विधायक डेगाना द्वारा पत्र दिनांक 09.09.2022 (अनुलग्नक–5) द्वारा मुख्यमंत्री, राजस्थान को लिखा गया था। अपीलार्थी का स्थानान्तरण वित्त विभाग की स्थानान्तरण नीति के विरूद्ध राजनैतिक हस्तक्षेप से

किया गया। माननीय उच्च न्यायालय एवं अधिकरण द्वारा स्थानान्तरण नीति के विरूद्ध किए गए स्थानान्तरणों को अवैधानिक घोषित किया गया है। राजनैतिक हस्तक्षेप से स्थानान्तरण के संबंध में अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 8440/2010 नरेश कुमार बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 25.11.2010 (अनुलग्नक–6) का उद्धरण देकर अपीलार्थी का प्रकरण समान बताया है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 06.09.2022 (अनुलग्नक–1) एवं 21.10.2022 (अनुलग्नक–1/A) को अपास्त किया जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को निरंतर सहायक लेखाधिकारी–I के पद पर पंचायत समिति मूंडवा, नागौर में कार्य करने दिया जावे तथा वेतन एवं समस्त पारिणामिक लाभ दिए जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 21.10.2022 (अनुलग्नक–1A) के विरूद्ध अनुतोष चाहा है। आलोच्य आदेश में अपीलार्थी को विकास अधिकारी, पंचायत समिति मूंडवा, नागौर से राजस्थान रूरल वाटर सप्लाई एण्ड फ्लोरोसिस मीटिगेशन प्रोजेक्ट (पीएमयू), नागौर स्थानान्तरणाधीन अंकित करते हुए विकास अधिकारी, पंचायत समिति, जायल, नागौर स्थानान्तरित किया गया है। उक्त आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है तथा स्थानान्तरणाधीन स्थिति में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण किए जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। स्थानान्तरण नीति के प्रावधान नीति–निर्धारण के रूप में मार्गदर्शक की स्थिति में होते है, उनका प्रभाव नियमों (Rules) की भाँति बाध्यकारी नहीं माना जा सकता है। पत्रावली के अनुलग्नक–5 पर प्रत्यर्थी संख्या–4 द्वारा पत्र लिखा गया है परन्तु उस पत्र में किसी प्रकार का विद्वेष एवं बदले की भावना के द्योतक कुछ भी अंकित नहीं है। अतः प्रथम दृष्टयां आलोच्य आदेश में कोई दुर्भावना की स्थिति की विद्यमानता भी परिलक्षित नहीं होती है। अतः उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्यर्थीगण को सुने बिना आलोच्य आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाकर एक पक्षीय अन्तरिम स्थगन दिया जाना उचित नहीं है। अतः अपील को ग्राह्य करने से पूर्व प्रत्यर्थीगण को नोटिस देकर, सुना जाना आवश्यक है।

अतः प्रत्यर्थीगण को दिनांक ..... ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र के नोटिस जारी हो।

अपीलार्थी अथवा उनके विद्वान् अभिभाषक द्वारा दो सप्ताह में प्रत्यर्थीगण के नोटिस, अपील मय प्रलेख की प्रति प्रस्तुत किये जावे, नोटिस प्रस्तुत होने पर प्रत्यर्थी के नोटिस अपीलार्थी के अभिभाषक को दस्ती दिये जावे।

पत्रावली दिनांक ..... वास्ते ग्राह्यता जवाब एवं तामील समक्ष रजिस्ट्रार पेश हो।

आदेश आज दिनांक.....को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(एम.एस.काला)
सदस्य

(मातादीन शर्मा)
सदस्य